रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2001/पौष 12, 1922

No. 1] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2001/PAUSA 12, 1922

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2001

सा.का.नि. 1(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी विधि प्रशासन विभाग (समूह क, ख और ग पद) भर्ती नियम, 1962 को, जहां तक उनका संबंध कंपनी अभियोजक श्रेणी III/विधि सहायक/कनिष्ठ निरीक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कंपनी कार्य विभाग में क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय परिसमापक के कार्यालयों में कंपनी अभियोजक श्रेणी III/विधि सहायक/कनिष्ठ निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी कार्य विभाग, क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय परिसमापक का कार्यालय (कंपनी अभियोजक में श्रेणी III/विधि सहायक/कनिष्ठ निरीक्षक) भर्ती नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं : उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
कंपनी अभियोजक श्रेणी III/ विधि सहायक/ कनिष्ठ निरीक्षक	53* (2000) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5500-175-9000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
35 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण** :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य। (2) सरकारी विभागों की ओर से विधि न्यायालय में मामलों के संचालन का तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

टिप्पण : — अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13	14
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी अर्थात् :— (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।	लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए), जिनमें निम्नलिखित होंगे :— 1. क्षेत्र का क्षेत्रीय निदेशक—अध्यक्ष 2. कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय परिसमापक (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के स्तर का) —सदस्य 3. अवर सचिव, कंपनी कार्य विभाग —सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक अधिकारी, जो अवर सचिव की श्रेणी के स्तर से नीचे के स्तर का न हो —सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. ए-26011/2/98-प्रशा.-II]
ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2001

G.S.R. 1(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to aritlcle 309 of the Consitution and in supersession of Department of Company Law Administration (Group 'A', 'B' & 'C') Recruitment Rules, 1962, in so far as they relate to the post of Company Prosecutor Grade-III/Legal Assistants/Junior Inspectors except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Company Prosecutor Grade-III/Legal Assistants/Junior Inspectors in the Offices of the Regional Directors, Registrar of Companies and Official Liquidator in the Department of Company Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement** :—(1) These rules may be called the Department of Company Affairs, Offices of the Regional Directors, Registrars of Companies and Official Liquidator (Company Prosecutor Grade-III/Legal Assistants/Junior Inspectors) Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay** :—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications** :—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification** : No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is persmissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection by seniority or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Company Prosecutor Grade-III/Legal Assistants/Junior Inspectors	53* (2000) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note** : The crucial date of determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential** : (1) Degree in Law from a recognised University or equivalent. (2) Three years' experience of conducting cases in the Court of Law on behalf of Government Departments. **Note** : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
By direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note** : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation from officers of Central Government :— (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting : 1. Regional Director of the Region—Chairman. 2. Registrar of Companies/ Official Liquidator (Junior Administrative Grade level)—Member 3. Under Secretary, Department of Company Affairs—Member 4. An Officer belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category not below the level of Under Secretary to the Govt. of India—Member	Not applicable.

[No. A-26011/2/98-AD.II]
A. RAMASWAMY, Jt. Secy.

15 GI/2001—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054